

11 महा निदेशनालय कारागार राजस्थान, जयपुर 11
प्रमाणित स्थापना/लेटअप/स्थान आदेश/ 11965

दिनांक 26.8.2004

-: स्थाई आदेश संख्या: 2/2004 :-

इस कार्यालय के पत्र प्रमाणित स्थापना/लेटअप/प्रहरी/निगुणित/98/25238
दिनांक 1.8.03 के द्वारा जारी स्थाई आदेश संख्या: 3/2003 एवं पत्र प्रमाणित स्थापना/
लेटअप/निगुणित/31273 - 372 दिनांक 27.9.2003 के संलग्न पाठ्यक्रम के अतिरिक्त मुख्य
प्रहरी से सहायक कारापाल/महा मुख्य प्रहरी, सहायक कारापाल/महा मुख्य प्रहरी, से
उप कारापाल, एवं उप कारापाल से कारापाल पद पर पदोन्नति हेतु राजस्थान कारा-
गार अधीनस्थ सेवा नियम-1998 के पार्ट-5 के नियम-36 के अनुसार लिखित/आखरी लिखित
वक्ता परीक्षा एवं साक्षात्कार तथा सेवा शिरोधार्य का पाठ्यक्रम एवं अंक विभाजन निम्ना-
नुसार दिया जाता है :-

§ 48 भाग-1 § अं लिखित परीक्षा 100 अंक
विषय:- जेल नियम, विधि एवं जेलों का व्यवहारिक

संचालन

भाग-2 § अं परेड एवं आउटडोर परीक्षा 100 अंक

§ 49 भाग-3 साक्षात्कार एवं सेवा शिरोधार्य 50 अंक

§ अं साक्षात्कार 25 अंक

§ अं सेवा शिरोधार्य, वार्षिक कार्य मूल्यांकन 25 अंक

प्रतिवेदनो सहित

भाग-4 § अं लिखित परीक्षा 100 अंक

मुख्य प्रहरी से सहायक कारापाल/महा-मुख्य प्रहरी पद पर पदोन्नति
हेतु लिखित परीक्षा पाठ्यक्रम :-

लिखित परीक्षा में एक प्रश्न-पत्र होगा, जो जेल से संबंधित विभिन्न नियम,
जेल से संबंधित विधि, राज्य सेवा नियम एवं सेवा नियमों के आधार होगा।
इसके साथ ही उपरोक्त संदर्भित नियमों के परिच्छेदों में जेलों के व्यवहारिक
संचालन पर आधारित प्रश्न भी पूछे जायेंगे। इन विभिन्न नियमों एवं विधि
का पाठ्यक्रम निम्नानुसार होगा :-

§ 50 राजस्थान प्रिजन्स रूल-1951

§ 10 पार्ट-2-खंड 4 - - -

§ 20 पार्ट-5, सेक्शन-1, 3, 4

§ 30 पार्ट-7,

§ 40 पार्ट-8, सेक्शन-9, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19

§ 50 पार्ट-9, सेक्शन-1, 2, 4, 5,

§ 60 पार्ट-10, सेक्शन-1, 3, 4,

§ 70 पार्ट-11

§ 80 पार्ट-15, सेक्शन-1

§ 90 पार्ट-22, सेक्शन-1

§ 100 पार्ट-23

§ 110 पार्ट-24

- ॥ १॥ दण्ड प्रक्रिया संहिता धारा-2, 6, 27, 28, 29, 30, 31, 72, 91, 106 से 111, 117, 119, 195, 196, 197, 266 से 271, 330, 335, 336, 337, 338, 339, 372 से 376, 378, 379, 380, 413 से 435
- ॥ २॥ भारतीय दण्ड संहिता धारा-19, 20, 21, 40, 53, 57, 60, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 128, 129, 130, 161 से 171, 191, 192, 222, से 225, 353, 354, 376 ख, ग, 377, 463 से 477
- ॥ ३॥ पेट्रोल नियम
- ॥ ४॥ समय पूर्व रिहाई नियम
- ॥ ५॥ आर्डीओपनियम नियम
- ॥ ६॥ जेल विजिटर्स नियम
- ॥ ७॥ मानवाधिकार बंदियों के सम्बन्ध में
- ॥ ८॥ सेवा निष्ठ एवं वित्तीय नियमों का ज्ञान

7,

रहा

॥ ३॥ उप कारावास से कारावास पद पर पदोन्नति हेतु लिखित परीक्षा पाठ्यक्रम

लिखित परीक्षा में एक प्रश्न-पत्र होगा, जो जेल से संबंधित विभिन्न नियम, जेल से संबंधित विधि, राज्य सेवा नियम एवं लेखा नियमों का आधार पर होगा। इसके साथ ही उरोक्त संदर्भित नियमों के परिपत्र में जेलों के व्यवहारिक संचालन पर आधारित प्रश्न भी पूछे जायेंगे। इन विभिन्न नियमों एवं विधि का पाठ्यक्रम निम्नानुसार होगा :-

- ॥ १॥ राजस्थान प्रिजन्स रूल-1951 आधुनिक संशोधन सहित
- ॥ २॥ प्रिजन्स एक्ट-1894
- ॥ ३॥ राजस्थान प्रिजन्स एक्ट-1960
- ॥ ४॥ राजस्थान प्रिजन्स अटेंडेन्स इन कोर्ट्स एक्ट-1955
- ॥ ५॥ राजस्थान प्रिजन्स रिलीज ऑन प्रेरोल रूल-1958
- ॥ ६॥ राजस्थान प्रिजन्स वेलफेयर रूल, 1964
- ॥ ७॥ राजस्थान प्रिजन्स गार्डनिंग ऑफ सेन्टेनेंस् रूल, 1958
- ॥ ८॥ राजस्थान प्रिजन्स ओपन एयर कैम्प रूल, 1972
- ॥ ९॥ राज्य सरकार एवं मुख्यालय द्वारा जेल प्रशासन से संबंधित जारी करिपत्र एवं निष्ठा निर्देश। धारा-

- ॥ १०॥ भारतीय दण्ड प्रक्रिया संहिता-2, 4, 6, 9, 11, 28, 22, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 66, 72, 73, 91, 106 से 124, 195, 196, 197, 200, 266 से 271, 328 से 339, 372 से 394, 413 से 435, 442
- ॥ ११॥ भारतीय दण्ड संहिता धारा-19, 20, 21, 40, 53, 57, 60, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 128, 129, 130, 161 से 171, 191, 192, 222 से 225, 353, 354, 376, ग, 377, 463 से 477
- ॥ १२॥ मानवाधिकार-बंदियों के सम्बन्ध में।
- ॥ १३॥ राज्य सेवा नियम, वित्तीय नियम, आचरण नियम व सी. सी. ए. नियम

मन्त्र नियम,
पर होगा।
व्यक्ति संचालन
विधि का पाठ्य

13, 14, 15, 16,

§ 18 सेवा-भिलेख, कार्गिल कार्य मूल्यांकन प्रतिवेदनों सहित 25 अंक

§ 18 सेवापत्र योग्यता 05 अंक

§ 18 मिडिल/सेकण्डरी ग्रुप +
 § 18 वी/हायर सेकण्डरी 10+1 सी नियर
 सेकण्डरी 10+2 1 अंक
 § 18 सी स्नातक व समकक्ष 3 अंक
 § 18 डी विधि स्नातक/अधि स्नातक व समकक्ष 5 अंक

§ 28 कार्गिल कार्य मूल्यांकन प्रतिवेदन गत सात वर्षों के 14 अंक

§ 28 उत्कृष्ट 2 अंक
 § 28 वी वृद्ध अक्षा 1, 1/2 अंक
 § 28 सी अक्षा 1 अंक
 § 28 डी संतोषप्रद 1/2 अंक
 § 28 असंतोषप्रद ग्रुप

§ 38 पुस्तकार गत सात वर्षों के 06 अंक

§ 38 अधीक्षक का प्रमाण-पत्र प्रत्येक प्रमाण-पत्र पर 1/2 अंक
 § 38 वी जिला मजिस्ट्रेट का प्रमाण-पत्र प्रत्येक प्रमाण-पत्र 1 अंक
 पर
 § 38 सी महा निदेशक प्रत्येक प्रमाण-पत्र पर 2 अंक
 गत सात वर्षों के प्रमाण-पत्र ही सम्मिलित कर
 किये जायेंगे एवं अधिकतम 6 अंक दिये जायेंगे

§ 48 दण्ड के कारण अंक कम किये जायेंगे :- 06 अंक

गत सात वर्षों में दिये गये दण्ड के अनुरूप निम्ना-
 नुसार अधिकतम 6 अंक कम किये जायेंगे ।

§ 18 परिनिन्दा के दण्ड पर 1/2 अंक
 § 28 चेतन वृद्धि अंतर्धर्मी प्रभाव से रोकने के दण्ड 1 अंक
 पर प्रत्येक दण्डादेश पर
 § 38 चेतन वृद्धि अंतर्धर्मी प्रभाव से रोकने के दण्ड पर 2 अंक
 प्रत्येक दण्डादेश पर
 § 48 पदावन्तरी के दण्ड पर 3 अंक

विशेष निर्देश :-

§ 18 भाग-1 अंश लिखित परीक्षा में श्रेष्ठ न्यूनतम उत्तीर्णांक 40 प्रतिशत प्राप्त करना अनिवार्य है ।
 भाग-2 अंश परेड व आउटडोर परीक्षा में न्यूनतम उत्तीर्णांक 40 प्रतिशत प्राप्त करना अनिवार्य है ।

- भाग-1 के लिए लिखित परीक्षा एवं वरेड व आउटडोर परीक्षा में सम्मिलित रूप से 45 प्रतिशत अंक प्राप्त करने वाला अभ्यर्थी ही साक्षात्कार हेतु अर्हता प्राप्त करेगा ।
- § 2§ भाग-1A, साक्षात्कार एवं सेवा भिलेख में न्यूनतम 45 प्रतिशत अंक उत्तीर्ण हो गें ।
- § 3§ भाग- एवं 1A की परीक्षा में न्यूनतम 90 प्रतिशत अंक अर्जित करने वाला अभ्यर्थी ही चयन सूची में सम्मिलित हो सकेगा ।

25/8/04

अतिरिक्त निदेशक एवं महा निरीक्षक
कारागार रामस्थान मुंबई
9/25/8/04 25/8/04 25/8/04

//सिवारी 24804//